

छुट्टी यात्रा रियायत (अखिल भारतीय / मूल निवास) अग्रिम के अनुदान के लिए आवेदन

APPLICATION FOR GRANT OF L.T.C. (ALL INDIA/HOME TOWN) ADVANCE

1. सरकारी कर्मचारी का नाम :
Name of the Government Servant :
2. पदनाम:Designation :
3. केंद्र सरकार की सेवा में प्रवेश करने की तिथि:
Date of entering the Central Government service :
4. वर्तमान वेतन / Present pay :
5. स्थायी या अस्थायी/ Whether permanent or temporary :
6. सेवा पुस्तिका में दर्ज मूल निवास/ Home town as recorded in the service book :
7. क्या पत्नी/पति कार्यरत हैं और यदि हां, तो क्या एलटीसी के हकदार हैं /Whether wife/ husband is employed and if so whether entitled to L.T.C. :
8. क्या मूल निवास जाने के लिए रियायत का लाभ उठाया जाना है और यदि हाँ तो ब्लॉक वर्ष जिसके लिए एलटीसी का लाभ उठाया जाना है। :Whether the concession is to be availed for visiting hometown and if so block year for which L.T.C. is to be availed. :
9. क) यदि रियायत भारत में कहीं भी जानी के लिए है, तो जिस स्थान का दौरा किया जाना है उसका नाम
ख) ब्लॉक जिसके लिए लाभ उठाया जाना है:
a) If the concession is to visit anywhere in India, the place to be visited
b) Block for which to be availed :
10. मुख्यालय से मूल निवास/यात्रा के स्थान तक सबसे छोटे मार्ग का एकतरफा रेल /बस किराया/ Single rail fare/ bus fare from the headquarters to home town/ place of visit by shortest route :
11. परिवार के सदस्य जिनके संबंध में एलटीसी प्राप्त करने का प्रस्ताव है:/Family members in respect of whom L.T.C. is proposed to be availed :

क्र.सं. /Sl. No	नाम /Name	आयु /Age	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध /Relationship with Govt. Servant

12. आवश्यक अग्रिम की राशि:/Amount of advance required :
13. यात्रा आरंभ की तिथि/Date of Outward Journey :
14. वापसी की तिथि/Date of Inward Journey :
15. स्वीकृत छुट्टी की प्रकृति और अवधि:/Nature and period of leave sanctioned :
16. मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं अग्रिम प्राप्त होने के दस दिनों के अंदर आरम्भ यात्रा के लिए टिकट देने का वचन देता हूँ। I declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge. I undertake to produce the tickets for the outward journey within ten days of receipt of the advance.
17. यात्रा रद्द करने की स्थिति में या यदि मैं अग्रिम प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर टिकट प्रस्तुत करने में विफल रहता/ती हूँ, तो मैं पूरे अग्रिम को एक एकमुश्त वापस करने का वचन देता/देती हूँ। In the event of cancellation of the journey or if I fail to produce the tickets within ten days of receipt of advance, I undertake to refund the entire advance in one lumpsum.

स्टेशन/Station:

दिनांक/Date:

हस्ताक्षर/Signature

कार्यालय उपयोग के लिए

FOR OFFICE USE

1. कॉलम .1 से 6 में विवरण सत्यापित किया गया। / Particulars in col.1 to 6 verified.

2. प्रतिपूर्ति के लिए हकदार राशि: Amount entitled for

reimbursement: किराया रु.. x 2 x

Fare Rs. x 2 x =

= (टिकटों की संख्या) (No. of tickets)

3. अग्रिम स्वीकार्य (राशि का 80%) रु.

..... रु.

..... का अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता

है। Advance admissible (80% of amount in (2) Rs.

Advance of Rs may be sanctioned.

अथवा/Or

अग्रिम राशि स्वीकार्य नहीं है क्योंकि: The advance is not admissible since:

1. अधिकारी ने न्यूनतम सेवा पूरी नहीं की है। The official has not completed the minimum service.

2. अधिकारी ने एलटीसी के लिए पहले के अग्रिम का उपयोग नहीं किया है जिसे बाद में दंडात्मक ब्याज के साथ/बिना बरामद किया गया। The official has not utilized the earlier advance for the L.T.C. which was subsequently recovered with/ without penal interest.

लिपिक/Clerk

स.ले.प.अ./AAO

व.ले.प.अ.SAO/ले.प. AO

सरकारी कर्मचारी द्वारा स्व-प्रमाणन के लिए प्रोफार्मा
Proforma for self-certification by the Government employee

मैं श्री/श्रीमती/कु. (सरकारी कर्मचारी का नाम) यह पुष्टि करना चाहता हूँ कि मैं ब्लॉक वर्ष 20__ के लिए (यात्रा का स्थान) के दौरान से (यात्रा का स्थान) का दौरा करने के लिए स्वयं / परिवार के सदस्य (सदस्यों) के लिए मैं एलटीसी का लाभ उठा रहा/रही हूँ। मैंने या मेरे परिवार के सदस्य , जिसने लिए मैं एलटीसी का लाभ उठाना चाहता/चाहती हूँ, ने वर्तमान ब्लॉक में पहले इसका लाभ नहीं उठाया है।

I Shri/Smt./Kr. (Name of the Govt. servant) wish to confirm that I am availing (Home Town/ Any Place in India) LTC in respect of self/ family member(s) for the block year 2018 to visit(Place of visit) during to (dates of journey). It is stated that I or the family member for whom I wish to avail LTC has/have not availed of the same before in the present block.

2. छुट्टी यात्रा रियायत का दावा किए जा रहे परिवार के सदस्यों के विवरण निम्नानुसार हैं: The Particulars of members of family in respect of whom the Leave Travel Concession is being claimed are as under:

क्र. सं. Sl No	नाम Name	आयु Age	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध Relationship with Govt. Servant

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य सत्य हैं और कोई भी गलत बयान मुझे सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के नियम 16 और प्रासंगिक अनुशासनात्मक नियमों के तहत उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाएगा। It is certified that the above facts are true and any false statement shall make me liable for appropriate action under Rule 16 of CCS (LTC) Rules, 1988 and the relevant disciplinary rules.

* N.B.: सरकारी कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठाते समय यात्रा किए गए गंतव्य की दिलचस्प जानकारी और तस्वीरें, यदि कोई हो, उचित मंच पर साझा कर सकता है। The Government employee may share interesting insights and pictures, if any, of the destination visited while availing LTC on an appropriate forum.

